CH.CHARAN SINGH COLLEGE OF EDUCATION & TECHNOLOGY

SADARPUR MEERUT

SESSION - 2023 - 2024

B.Ed- Ist year

24104587

NAME - Kirtika Chaudhary

CLASS - B.Ed-Ist year

FILE NAME – mid day meal

5 August

Roll No.- 240562000030

SUBMITTED TO

Manoj Kumar

SUBMITTED BY -

Kirtika Chaudhary

CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY MEERUT

Scanned with OKEN Scanner

wave

TOPIC ______ DATE ______

S.No.	Topic	Sign.
1	मध्याह्न भोजन योजना	
2	मध्यान्ह भोजन योजना के उद्देश्य	
3	मध्यान्ह भोजन योजना की वित्त व्यवस्था	
4	मध्यान्ह भोजन योजना का क्षेत्र	
5	मध्यान्ह भोजन योजना की कार्यप्रणाली	
6	मध्यान्ह भोजन योजना का मूल्यांकन	
7	मध्यान्ह भोजन योजना की उपलब्धियाँ	
8	मध्यान्ह भोजन योजना की कमियाँ	

CREATIVE Teacher's Signature ______

Scanned with OKEN Scanner

TOPIC DATE

अभिस्वीकृति

मैं अपने अध्यापक को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस विषय पर परियोजना बनाने का अवसर प्रदान किया।

मैं अपने सहपाठियों, गुरुजनों एवं माता पिता को भी धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे सीमित समय सीमा के भीतर इस परियोजना को अंतिम रूप देने मे मेरी बहुत मदद की है।

CREATIVE Teacher's Signature

Mid day Meal

15 August 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और जनवरी 1950 से हमारे देश मे हमारा अपना संविधान लागू हुआ प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ मे इसकी 45 वी धारा मे स्पष्ट निर्देश था। राज्य इस संविधान के लागू होने तक से दस वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चो की अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा 1951 से हमारे देश मे सभी विकास कार्य योजनावार तरीके से शुरू किए गए 1957 मे केन्द्र मे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया और इसे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के संबंध मे सुझाव देने का कार्य सौंपा गया, इस परिषद् ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे क्रान्तिकारी परिवर्तन किये परिणामस्वरूप उसके प्रसार मे तेजी आई। 1966 मे कोठारी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। इस आयोग ने शैक्षिक अवसरो की समानता पर विशेष बल दिया और सरकार का ध्यान पिछडे वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यको और कबीलो के बच्चो की शिक्षा की ओर आकर्षित किया गया साथ मे प्राथमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिये सुझाव प्रस्तुत किया। इसके आधार पर

TOPIC ______ DATE ______

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1968 की घोषणा की गई। 1979 मे 6 से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चो के लिए जो किसी कारण औपचारिक शिक्षा का लाभ नही उठा पा रहे थे निरौपचारिक शिक्षा शुरू की गई 1986 मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इस शिक्षा नीति मे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को राष्ट्रीय ध्येय के रूप मे स्वीकारा गया। 1987-1988 मे ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई। थाइलैंड मे सबके लिए शिक्षा पर विशेष बैठक हुई जिसमे सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा की गई परिणामस्वरूप संसार के भौतिक द्रष्टि से पिछडे लोगो। वर्गों के देशो मे आधारभूत शिक्षा के प्रचार के लिये प्रयत्नो मे तेजी आई, हमारे देश भारत मे भी 1994 ई॰ मे शैक्षिक द्रष्टि से पिछडे जिलो मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया 15 August 1995 को पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया इसे सामान्यता मध्यान्ह भोजन योजना कहते है इन सब प्रयासो के बाद भी हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नही कर सके और इस मार्ग पर सबसे बडी समस्या थी स्कूल होने पर भी बच्चो का स्कूल मे प्रवेश न लेना और प्रवेश लेने के बाद बच्चो का पढाई बीच मे छोडकर चले जाना। प्रवेश लेने के बाद स्कूल

wave

TOPIC ______ DATE ______

अपव्यय कहते है। यू तो इस बीच मे प्राथमिक स्कूलो मे नामांकन बढाने के लिये और साथ ही अपव्यय को रोकने के लिये अनेक प्रयत्न किए गए परन्तु इस क्षेत्र मे सफलता बहुत कम मिली थी। इस के लिए उच्च न्यायालय से केन्द्र और राज्य सरकारो को चेतावनी भी दी गई थी। अतः इन समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 मे प्राथमिक शिक्षा के पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे संक्षेप मे मध्यान्ह भोजन योजना कहते है।

मध्यान्ह भोजन योजन का उद्देश्य

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. बच्चो के प्राथमिक स्कूलो मे नामांकन मे वृद्धि करना
2. बच्चो को प्राथमिक स्कूलो मे रोके रखना और इस स्तर पर होने वाले अपव्यय को रोकना।
3. बच्चो की स्कूलो मे उपस्थिति मे वृद्धि करना।
4. बच्चो को पौष्टिक आहार द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना।
5. बच्चो को एक स्थान भोजन व्यवस्था कर उनके जाति भेद को कम करना।

Teacher's Signature ______

Scanned with OKEN Scanner

TOPIC DATE

मध्यान्ह भोजन योजना की वित्त व्यवस्था

यह योजना केन्द्र द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के संचालन मे केन्द्र और प्रान्तीय सरकारे 75:25 के अनुपात मे व्यय करती है इसके लिये केन्द्र सरकार प्रान्तीय सरकारो को गेहूं, चावल व अन्य पौष्टिक पदार्थ मुहैया कराती है और साथ मे स्कूलो मे खाद्य सामग्री रखने के लिये एक स्टोर रूम बनाने, भोजन पकाने के लिए किचन शेड बनाने और भोजन पकाने के लिए 25 विद्यार्थियो पर एक रसोइया एवं सहायक की नियुक्ति पर आने वाला व्यय वहन करती है। यदि छात्रो की संख्या 25 से अधिक होती है तो 26 से 100 विद्यार्थियो के लिए दो रसोइयो और दो सहायक और फिर 100 बच्चो तक पर एक रसोइया एवं एक सहायक पर आने वाले व्यय का खर्च वहन करती है. केन्द्र सरकार प्रान्तीय सरकारो को खाद्य पदार्थो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले व्यय के ऊपर एक निर्धारित मानदण्ड के तहत सब्सिडी देती है साथ ही योजना के संचालन और उसकी निगरानी पर होने वाले व्यय मे भी एक निश्चित मानदण्ड के आधार पर व्यय साझा करती है।

Teacher's Signature

CREATIVE

TOPIC ____________ DATE ____________

मध्यान्ह भोजन योजना का क्षेत्र

प्रारम्भ मे यह भोजन योजना देश के 2408 ब्लॉको मे चलाई गयी थी और इसके अन्तर्गत केवल प्राथमिक सरकारी स्कूलों को लिया गया था सत्र 1997-1998 मे इसे देश के सभी ब्लॉको मे लागू किया गया सन 2002 मे इसमे शिक्षा गारन्टी योजना और वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा के लिये शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत चलने वाले शिक्षा गारन्टी स्कूल और अल्पसंख्यको मुसलमानो के द्वारा चलाए जा रहे मकतब एवं मदरसो को सम्मिलित कर लिया गया इसके बाद सन 2007 मे इस योजना मे उच्च स्कूलो को भी सम्मिलित करना शुरू किया। प्रारम्भ मे शैक्षिक दृष्टि से पिछडे ब्लॉको को लिया गया और उसके बाद 1 अप्रैल 2008 से सभी ब्लॉको को इस योजना को लागू कर दिया गया है। वर्तमान मे इस योजना मे कुछ सरकारी मान्यता एवं आर्थिक सहायता प्राप्त निजी स्कूलो को भी सम्मिलित कर लिया गया है। सन 2014-15 मे यह योजना 11.58 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलो मे चल रही है। 10.45 करोड बच्चे लाभान्वित हो रहे है वर्तमान मे इनकी संख्या मे और इजाफा हुआ है।

CREATIVE Teacher's Signature ____________

wave

TOPIC ______ DATE ______

मध्यान्ह भोजन योजना की कार्य प्रणाली

सन् 2007 मे इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड दिया गया था । तब से आज तक केन्द्र सरकार जो भी और जिस प्रकार की भी सहायता इस योजना को चलाने के लिए करती है। उसे सीधे प्रान्तीय सरकारो की सर्व शिक्षा अभियान समितियो को भेजती है और ये समितियाँ पूरे प्रान्त मे इस योजना को जिला स्तरीय समिति म्युनिसि-पल समिति मण्डल स्तरीय समिति और ग्राम-पंचायतो द्वारा सभी प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा प्राथमिक स्कूलो मे चलाती है ये समितियाँ अपने-2 क्षेत्रो मे इस योजना के संचालन की निगरानी भी करती है । जहाँ तक स्कूलो मे मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था का प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलो मे यह भोजन सामान्यत: स्कूलो मे तैयार किया जाता है और बडे कस्बो मे सामान्यत: भोजन सप्लाई करने वाले ठेकेदारो द्वारा सप्लाई किया जाता है सरकारी दावे के अनुसार प्राथमिक स्कूल कक्षा 1-5 के प्रत्येक बच्चे को प्रति स्कूल दिवस 100 ग्राम अनाज तथा दाल सब्जी खाद्य तेल और मसाले दिये जा रहे है और उच्च प्राथमिक

Teacher's Signature ______

CREATIVE

TOPIC DATE

स्कूल कक्षा 6-8 के प्रत्येक बच्चे को प्रति स्कूल दिवस 150 ग्राम अनाज तथा दाल, सब्जी, खाद्य तेल और मसाले दिये जा रहे है।

मध्यान्ह भोजन योजना का मूल्यांकन

यदि इस योजना का निष्पक्ष दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो इसमे उपलब्धियाँ और कमियाँ नजर आएंगी।

मध्यान्ह भोजन योजना की उपलब्धियाँ -

मध्यान्ह भोजन योजना का प्रारम्भ ही इस उद्देश्य से किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा की भाँति इस योजना का सार्वभौमिकरण हो, परन्तु अन्य योजना के कुछ गुण व कुछ कमियाँ है। जिनके चलते अपेक्षित परिणाम नही प्राप्त हो पाए है। फिर भी इस योजना के कुछ गुण की उपलब्धियाँ निम्नलिखित है -

1) शिक्षा - सत्र 2014-15 तक इस योजना को देश के 11.58 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलो मे लागू किया जा चुका है। इससे देश के लगभग 10.45 लाख करोड बच्चे लाभान्वित है।

CREATIVE

Teacher's Signature

TOPIC ______ DATE ______

2) इस योजना के लागू होने के बाद प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है।

3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों मुसलमानों के बच्चों का नामांकन बढ़ा है।

4) सभी स्कूली बच्चों के पोषण में सुधार हुआ है।

5) बच्चों में एकसाथ बैठकर भोजन खाने से जातीय भेदभाव में कमी आ रही है, भाईचारा बढ़ रहा है।

6) अपव्यय तथा अवरोधन में कमी आ रही है।

मध्यान्ह भोजन योजना की कमियाँ -

इस योजना की स्पष्ट कमियाँ दृष्टिगोचर नहीं है या सप्रमाण रूप में उपलब्ध नहीं हो पाती है फिर भी यदाकदा अखबारों में या दूरदर्शन आदि पर सूचनाएँ प्रसारित होती रहती है कि क्षेत्र विशेष में मीड-डे मिल योजना में इतने रुपयों का घोटाला हुआ है। खाद्य पदार्थों को बेच दिया गया है या पैसा / सहायता प्राप्त होने के बाद बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं दिया जा रहा है। भोजन पकाए जाने वाले स्थानों में गन्दगी रहती है, पके हुए भोजन में कीड़े-मकोड़े पाए

CREATIVE

Teacher's Signature ______

TOPIC ______ DATE ______

जाते हैं।

वस्तुत: इस योजना से काफी लाभ हुए हैं। परन्तु यदि यह योजना पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ चलाई जाती तो और भी अधिक लाभ होते। इस योजना की निगरानी हेतु ऊपर से नीचे तक अनेक तन्त्र हैं, परन्तु फिर भी घोटाले हो रहे हैं, मानकों से निम्न स्तर का भोजन दिया जा रहा है। घोटाला या लापरवाही होने की स्थिति मे जाँच कमेटी बना दी जाती है और कई बार सही परिणाम भी नहीं आ पाते हैं। यदि इन सब कमियों को दूर किया जा सके तो मध्याह्न भोजन योजना की सफलता मे कोई सन्देह नहीं हो सकता है।

Teacher's Signature ______